


07.02.25

पत्रावली पेश हुई। संसदीय राज उपस्थित। पत्रावली का झलोकन किया गया। झलोकन से ज्ञात हुआ कि वादी द्वारा मुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पेश किया गया है। इसकी सूचना वादी को दिनांक 22.7.2021 को ही चुकी थी लेकिन लगभग चार वर्ष व्यतीत होने के बाद भी कदी द्वारा ना तो संसदीय शीर्षक पेश किया गया ना ही मुक्त के वादियों को पक्षकार बनाया गया। इस वादी का यह वादपत्र तलबी एवं पक्षकारों के हित में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तर्हीब तर्हील होकर दाखिल करा है।
निर्णय लिखा जाकर पुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(दीपक चन्दन)
R.A.S.

**उपखण्ड अधिकारी
बड़साना**